केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd

प्रथम तल, सरोहा कॉम्पलेक्स, मलिक कॉलोनी गोहाना रोड
निकट छोटू राम चौक सोनीपत हरियाणा 131001
फोनः 0130–2235101, मो. 7625079179,
ईमेलः sonepat@canfinhomes.com CIN NO. L85110KA1987PLC008699

[नियम 8(6) के परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **रचनात्मक** कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, सोनीपत शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्रीमती कृष्णा पत्नी सुरेश कुमार** (उधारकर्ता) और **श्री सुरेश हुड्डा पुत्र अनूप सिंह** (सह–उधारकर्ता) और **श्री मुकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश** (गारंटर) से केन फिन होम्स लिमिटेड की **22.05.2026** तक बकाया राशि **रु. 19,40,539/– (रुपए उन्नीस लाख चालीस हजार पाँच सौ उन्तालिस मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **02.07.2026** को ई–नीलामी द्वारा **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहाँ है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु. 35,50,000/– (रुपए पैंतालिस लाख पचास हजार मात्र)** तथा धरोहर राशि जमा **रु. 3,50,000 (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र)** होगी।

संपत्ति का विवरण

खेवट नंबर 246, खतौनी नंबर 271, पतंग 5 रकबा 36 कनाल 18 मरले में प्लॉट पर घर किला नंबर 100/3/1 मिन रकबा मौजा वाका, गांव– किलाओ खास, तहसील और जिला–रोहतक, हरियाणा–124001.

उत्तरः– गली/रोड. दक्षिणः– अनूप सिंह की जमीन.
पूर्वः– गली/रोड. पश्चिमः– गली/रोड.

ज्ञात भारः शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट **(https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx)** में उपलब्ध कराई गई हैं। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक **www.auctionbazaar.com** देखें।

हस्ता./–
तिथि : 20.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : सोनीपत केन फिन होम्स लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया

तिलक नगर शाखा
WZ-16, बिंद्रा मार्केट, तिलक नगर, नई दिल्ली –110018
फोनः 011–25409013, 25409977
ई-मेलः tilaknagar.newdelhi@bankofindia.bank.in

परिशिष्ट–IV अनुलग्नक F
खनियम–8(1) देखें,
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जहाँकि अधोहस्ताक्षरी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी हैं, ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03–02–2026 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसके द्वारा **उधारकर्ता श्री अरुण कुमार पुत्र श्री विजय कुमार** को उक्त सूचना में उल्लिखित राशि **रू. 16,75,920.37 (सोलह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ बीस रूपये एवं सैंतीस पैसे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान** उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने हेतु कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज **दिनांक 19 मई, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

उधारकर्ता विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ इंडिया के **रू. 16,48,739.37 (सोलह लाख अड़तालीस हजार सात सौ उनतालीस रूपये एवं सैंतीस पैसे मात्र)** तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य प्रभारों के अधिभार (चार्ज) के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरणः

उक्त संपत्ति का वह सम्पूर्ण भाग एवं अंश, जिसमें शामिल है, जिसमें फ्रीहोल्ड डी.डी.ए. जनता फ्लैट नं. 270, ग्राउंड फ्लोर, पॉकेट–3, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली–110063 शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 36.00 वर्ग मीटर है।

चौहद्दीः
उत्तर दिशा में : अन्य का फ्लैट **दक्षिण दिशा में : गली**
पूर्व दिशा में : फ्लैट नं. 269 **पश्चिम दिशा में : सड़क**

दिनांक : 19.05.2026, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

इंडियन ओवरसीज बैंक

गोकुल शाखा
(पताः नंद द्वार, गोकुल, गोकुलपुर मथुरा, उत्तर प्रदेश–274004
फोन नंबरः और ईमेलः iob2613@iob.in)

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) [(नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, **इंडियन ओवरसीज बैंक,** नंद द्वार, गोकुल, गोकुलपुर मथुरा, उत्तर प्रदेश–274004 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने **दिनांक 21.01.2026 को एक मांग नोटिस** जारी किया जिसमें ऋणकर्ता /गिरवी रखने वाले/गारंटरों : श्री/**श्रीमती रमन देवी, पत्नी विक्रम सिंह, 46 उषा कुंज, रुंची बंगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281006, विक्रम सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह, 46, रुंची बंगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281006** (जिन्हें इसके बाद ''ऋणकर्ता'' कहा गया है) को नोटिस में उल्लिखित राशि **21.01.2026 की तिथि तक 1475099.18 रुपये (चौदह लाख पचहत्तर हजार निन्यानवे रुपये और अठारह पैसे मात्र)** सहित वसूली की तारीख तक संविदात्मक दरों और अंतरालों पर अतिरिक्त ब्याज, शुल्क आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा है।

(1) उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **20 मई वर्ष 2026** को कब्जा कर लिया है।

(2) विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने की सलाह दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने पर दिनांक 20.05.2026 तक रु.1517501.18 (पंद्रह लाख सत्रह हजार पाँच सौ एक रुपये और अठारह पैसे मात्र) सहित वसूली की तारीख तक संविदात्मक दरों और अंतरालों पर अतिरिक्त ब्याज, शुल्क आदि और डिमांड नोटिस जारी करने के बाद किए गए भुगतान को घटाकर उसकी तिथि से चुकौती, यदि कोई हो, की सहमति के अनुसार शेष राशि इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभार के अधीन होगा। कब्जा लेने की तारीख तक देय बकाया राशि रुपये रु.1517501.18 (पंद्रह लाख सत्रह हजार पाँच सौ एक रुपये और अठारह पैसे मात्र) है, जिस पर भुगतान की तारीख तक संविदात्मक दरों पर अति. रिक्त ब्याज और अंतरालों, शुल्क आदि भी शामिल है।

(3) उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संपत्ति को भुनाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता

अचल संपत्ति का विवरण

खसरा संख्या 213 का भाग,उषा कुंज कॉलोनी, मौजा रोंची बांगर, तहसील और जिला मथुरा में डीड संख्या 11088–प्लॉट संख्या 46 के एक हिस्से पर स्थित आवासीय संपत्ति (मकान)। संपत्ति रमन देवी (पत्नी विक्रम सिंह) के नाम पर है। क्षेत्रफल:139.35 वर्ग मीटर।

पंजीकरण उप–जिला मथुरा और जिला मथुरा की सीमा के भीतर स्थित आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा, जिसमें सर्वे खसरा संख्या 213 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 46 शामिल है।

सीमाएंः
उत्तर मेंः प्लॉट संख्या 47
दक्षिण मेंः प्लॉट संख्या 45 ,
पूर्व मेंः प्लॉट संख्या 67 ,
पश्चिम मेंः 18 फुट का रास्ता

दिनांकः 20.05.2026 **हस्ता./–अधिकृत अधिकारी,**
स्थान : मथुरा **इंडियन ओवरसीज बैंक,**

पंजाब नैशनल बैंक

...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग
प्लाट संख्या–4, द्वारका सेक्टर–10, नई दिल्ली–110075
ई–मेल आईडीः hosd@pnb.bank.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/गुम/चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं और इसके पंजीकृत धारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:

क्र. सं.	शेयरधारकों/दावेदारों के नाम	फोलियो संख्या	प्रमाण–पत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
1.	देवी आहूजा (मृतक) काकुमल आहूजा (संयुक्त धारक–1, मृतक) द्रौपदी आहूजा (दावेदार)	1105825	16795	6738389385–6738389499	115

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारकों के पक्ष में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो शेयर ऊपर बताए गए शेयरधारक के डीएमएटी खाते में जमा कर दिये जाएंगे। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन–देन से सावधान किया जाता है।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
दिनांक : 22.05.2026 (बिक्रमजित सोम)
स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 3)

धरातल, एससीओ 33–34–35, सैक्टर 17–ए, चंडीगढ़– 160017

मामला सं.: ओए/298/2022

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन)

इएक्सएच नं. 30096

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मेसर्स गौरिक फैशन और अन्य

प्रति,
(3) श्रीमती शिप्रा शर्मा सुपुत्री रितेश शर्मा निवासी मकान नंबर 537/1 खेड़ा देवत रोड शिवम कुंज गुड़गांव हरियाणा

समन

चूंकि दिनांक 05.03.2026 को ओए/298/2022 माननीय **पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार** के समक्ष सूचीबद्ध किया था।

चूंकि, यह माननीय न्यायाधीकरण राशि 26,81,026.94 रुपए के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तद्नुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है:-

(i) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताना होगा कि जिसके लिए राहत की प्रार्थना की गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों के अलावा संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों का विवरण प्रदर्शित करना।

(iii) आपको मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभूतित परिसंपत्तियों या ऐसी किसी अन्य परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों के साथ लेन–देन और निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है, साथ जुड़ी हुई संपत्तियों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लंबित है।

(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित किसी परिसंपत्ति या किसी अन्य संपत्तियों, जिस पर प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोर्स को छोड़कर बिक्री, लीज या अन्यथा तरीके द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकोगे।

(v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभूति परिसंपत्तियां या अन्य परिसंपत्तियां तथा संपत्तियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रक्रिया से वसूली और ऐसी परिसंपत्तियों के ऊपर प्रतिभूति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रखे गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उत्तरदायी होंगे।

आपको आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दाखिल करने तथा दिनांक 29.05.2026 **को पूर्वाह्न** 10.30 **बजे** इस **रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल होने पर आवेदन की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में कर दी जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 06.03.2026 **को जारी किया गया।**

समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड

JUBILANT PHARMOVA

पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा-244223 (उ.प्र.)
सीआईएन :L24116UP1978PLC004624
वैबसाइटः www.jubilantpharmova.com I ई–मेलः investors@jubl.com
फोनः +91-5924-267437

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए
समेकित और एकल अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के समेकित एवं एकल अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 21 मई, 2026 को आयोजित की गई जिसे निदेशक मण्डल द्वारा 22 मई, 2026 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इन परिणामों के साथ कंपनी की वैबसाइट पर वैब लिंक के माध्यम से https://www.jubilantpharmova.com/investors/financials/quarterly-results, एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com दर्ज है।

आप इन परिणामों को क्यूआर कोड स्कैन करके भी देख सकते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से
जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
प्रियव्रत भारतिया
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन संख्या 00020603

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई, 2026

टिप्पणीः उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत विनियम 47(1) के अनुसार है।

इंडियन ओवरसीज बैंक

फराह शाखा
(पता : कैलाश नगर, बी–1, पास फराह, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281122
फोन नंबरः 8925952611 ई–मेलः iob2611@iob.in)

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) [(नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैलाश नगर, बी–1, पास फराह, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281122 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने दिनांक 20.02.2026 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें **ऋणकर्ताओं/गिरवी रखने वालों/गारंटरों : श्री /मेसर्स इफ्तिखार अहमद, पुत्र अकबर हुसैन, मोह. व्यापारीयन फराह, मथुरा,उत्तर प्रदेश 281122 (जिन्हें इसके बाद ''ऋणकर्ता'' कहा जाएगा) को नोटिस में उल्लिखित राशि 20.02.2026 तक 561509.59 रुपये (पांच लाख इकसठ हजार पांच सौ नौ और उनसठ पैसे मात्र) सहित वसूली की तारीख तक संविदात्मक दरों और अंतरालों पर अतिरिक्त ब्याज, शुल्क आदि** को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा है।

(1) उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 20 मई वर्ष 2026 को कब्जा कर लिया है।

(2) विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने की सलाह दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने पर **दिनांक 20.05.2026 तक 572950.59 रुपये (पांच लाख बहत्तर हजार नौ सौ पचास रुपए एवं उनसठ पैसे मात्र) सहित वसूली की तारीख तक संविदात्मक दरों और अंतरालों पर अतिरिक्त ब्याज, शुल्क आदि** और डिमांड नोटिस जारी करने के बाद किए गए भुगतान को घटाकर उसकी तिथि से चुकौती, यदि कोई हो, की सहमति के अनुसार शेष राशि इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभार के अधीन होगा। कब्जा लेने की तारीख तक देय बकाया राशि रुपये 572950.59 है, जिस पर भुगतान की तारीख तक संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज और अंतरालों, शुल्क आदि भी शामिल है।

(3) उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संपत्ति को भुनाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता।

अचल संपत्ति का विवरण

रेवती एन्क्लेव, आवासीय योजना कॉलोनी,मौजा रोसू–फराह, जिला मथुरा में स्थित खसरा संख्या 421–423 मि. के भाग के अंतर्गत आवासीय मकान सम्पत्ति। सम्पत्ति के मालिकः श्री इफ्तिखार अहमद, पुत्र श्री अकबर हुसैन। क्षेत्रफलः 83.61 वर्ग मीटर।

मौजा रोसू–फराह कॉलोनी, मथुरा जिले में स्थित आवासीय मकानों की संपत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश ,
सम्पत्ति के मालिकः श्री इफ्तिखार अहमद, पुत्र अकबर हुसैन।
क्षेत्रफलः 83.61
सीमाएँः
उत्तर में : विक्रेता की भूमि,
दक्षिण में : 18 फीट चौड़ा रास्ता,
पूर्व में : विक्रेता की भूमि,
पश्चिम मेंः विक्रेता की भूमि।

दिनांकः 20.05.2026 **हस्ता./–अधिकृत अधिकारी,**
स्थान : फराह मथुरा **इंडियन ओवरसीज बैंक,**

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

शांतिनिकेतन शाखा
इंडियन बैंक, तीसरी स्ट्रीट, शांतिनिकेतन, नानकपुरा, नई दिल्ली – 110021

लॉकर संचालन के संबंध में सूचना

शांतिनिकेतन (0329)

लॉकर किराए पर लेने वाले का नाम	लॉकर सं.
पी पी शर्मा	जी306
लक्ष्मी वेंकटरमण	जी277
राजश्री त्रिवेदी	एस428
बीएल भौमिक	एन110
सावित्री चंद्रा	एस245
अदिति मित्तल	एस214
डीके कालरा	जी318
रविंदर सिंह	एस142
हरभजन सिंह चोपड़ा	जी324
उमा शर्मा	एस146
पी त्यागराजन	एस044
सोमा दत्ता	N034
मोनिका सूरी	एस 009
सुमन श्रीवास्तव	G262
बीएस चोपड़ा	G426
संतोष कुमारी	G247
पम्मी उषा	एस058
नैयर शैली	एस 505
रेणुका नायर	G310
केके चतुर्वेदी	छ058
सोकौंडा परोमिता	एस 460
दिनेश कुमार राय	एस157
वी कृष्णमूर्ति	एस096
बीना घोष	N001
प्रीति माथुर	एस 217

जबकि आप, उपर्युक्त लॉकर धारकों ने लॉकर शुल्क का भुगतान करने में चूक की है और बैंक द्वारा पंजीकृत पते पर दिए गए विभिन्न नोटिसों के बावजूद शाखा से संपर्क नहीं किया है। पता इसके साथ संलग्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर शाखा से संपर्क करें और बैंक का बकाया तुरंत चुका दें। चूंकि आपने बकाया नहीं चुकाया है और बकाया वसूली के लिए बार–बार और लगातार संपर्क करने के बावजूद आप अभी भी चूक कर रहे हैं, इसलिए किराए पर लिए गए लॉकर पर आपके सभी अधिकार समाप्त हो गए हैं और बैंक को आपको आवंटित लॉकर को वापस लेने का अधिकार है। उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए बैंक ने आपके उक्त लॉकर पर कब्जा कर लिया और नीचे दी गई तिथि को आपके खर्च और परिणामों पर उसे तोड़ने का निर्णय लिया :

शांतिनिकेतन (शाखा कोड–0329)	11.06.2026

आपको इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्धारित समय के भीतर बकाया चुकाने का अनुरोध किया जाता हैं

हस्ताक्षर/– अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय- दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड-1,
नई दिल्ली-110005, दूरभाष सं.: 011-43010326
ईमेल आईडी : law.rodelhinorth@unionbankofindia.bank.in
cmcrldrodelhinorth@unionbankofindia.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6)/9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं)/बंधककर्ता (ओं)/गारंटर (रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (रों) से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देय राशियों की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथि पर "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी" आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना जमा राशि (ईएमडी) भी नीचे उल्लिखित हैं :

क्र. सं.	उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर–नाम और पता	संपत्तियों का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि	मांग सूचना तिथि / देय राशि
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कबीर नगर शाखा, पता : सी-5, नॉर्थ छज्जूपुर, 100 फीट रोड, शाहदरा, दिल्ली 110094 ई-मेल : ubin0920771@unionbankofindia.bank.in, 8655375776				
1	मैसर्स न्यू गोयल एंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री मनीष गोयल के माध्यम से, मकान नंबर : डी–23 गोकलपुरी दिल्ली – 110094, अन्य पता यहां पर भी : ए–559, गोकलपुरी दिल्ली 110094, 1/10426, द्वितीय तल, मोहन पार्क नवीन शाहदरा दिल्ली 1100322 2. गारंटर (गणं) – श्री राधे श्याम गोयल, मकान नंबर 4385, आर्य पुरा सब्जी मंडी दिल्ली 110007 2(बी). दर्शन कुमार गोयल मकान नंबर ए42 मुख्य बाजार गोकलपुरी दिल्ली 110094 2(सी). श्री हरि शंकर गोयल, मकान नंबर ए42 मुख्य बाजार गोकलपुरी दिल्ली 110094	1. श्री दर्शन कुमार गोयल, श्री मनीष गोयल, श्री हरि शंकर गोयल और श्री राधे श्याम गोयल के नाम पर स्थित, आर्य पुरा सब्जी मंडी दिल्ली 110007 में स्थित आवासीय संपत्ति नंबर 4385 का वह पूरा हिस्सा और भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 125 वर्ग गज है। सीमाएं :– उत्तर–पश्चिम में : प्रवेश/गली, दक्षिण–पूर्व में : अन्य संपत्ति, उत्तर–पूर्व में : अन्य संपत्ति, दक्षिण–पश्चिम में : अन्य संपत्ति।	सांकेतिक	रु. 83,30,000/– रु. 8,33,000/– रु. 85,000/–	20.01.2026 रु. 1,55,90,966.36 साथ में राशि पर ब्याज और शुल्क
		2. श्री मनीष गोयल और राधे श्याम गोयल के नाम पर स्थित, प्लॉट नंबर 42 मुख्य डीडीए मार्केट एलएससी, गोकलपुरी शाहदरा दिल्ली 110094 में स्थित व्यावसायिक दुकान का वह पूरा हिस्सा और भाग जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर है। सीमाएं : उत्तर में : प्रवेश/गली, दक्षिण में : सड़क/मस्जिद, पूर्व में : संपत्ति सं. 43, पश्चिम में : खुली भूमि।	सांकेतिक	रु.1,04,55,000/– रु. 10,45,500/– रु. 1,05,000/–	20.01.2026 रु. 1,55,90,966.36 साथ में राशि पर ब्याज और शुल्क

उपरोक्त संपत्तियों पर ऋणभारों का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है– ज्ञात नहीं है।

ई-नीलामी की तिथि और समय : 24.06.2026, दोपहर 12:00 से सायं 05:00 बजे
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : ई-नीलामी आरंभ होने पर या इससे पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यहाँ नीचे दिए गए लिंक को देखें या 8291220220 पर संपर्क करें, **https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx** और **www.unionbankofindia.co.in.** रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और बोली लगाने के नियमों के लिए **https://baanknet.com** पर जाएं।

इसे उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (रों) हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत 30 दिवसीय वैधानिक बिक्री सूचना भी माना जाए।

दिनांक : 20-05-2026, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

पंजाब नैशनल बैंक

.......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एआरएमबी, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091,
ई-मेल : Email: cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर **"जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानती खाता का पता एवं नाम	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि / सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि / कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण / बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) / संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण / अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	शा.का.:सूरजमल विहार(076710) **मैसर्स मनभावन साड़ीज** (कर्जदार) पता:307, तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032, श्री वरुण शर्मा पुत्र श्री प्रेम कुमार शर्मा (प्रो.), इसके अलावाः मकान नं. 2/468, तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032 इसके अलावाः 307, तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032	29.04.2017 रु. 62.94 लाख (धारा 13(2) के तहत दिनांक 29.04.2017 को जारी मांग सूचना के अनुसार) + पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य प्रभार एवं व्यय, 01.04.2017 से प्रभावी 02.05.2023 भौतिक	निर्मित संपत्ति संख्या 2/468, माप क्षेत्रफल 95 वर्ग गज भूमि (खसरा संख्या 642 का भाग), ग्राम चंद्रावली क्षेत्र में स्थित, तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032, श्री वरुण शर्मा के नाम पर दर्ज	रु. 62.05 लाख रु. 6.21 लाख (08.06.2026) रु. 25000/-	08.06.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं **श्री राजबाला पूनिया** (मो. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
2.	सिविल लाइन्स(011500) **एम/एस सिद्धांत इंटरनेशनल** (प्रोप-योगेश गुप्ता) पताः संपत्ति संख्या 52/4, न्यू कटरा ईश्वर भवन, गांधी गली, फतेहपुरी, खारी बावली, दिल्ली-110006 योगेश गुप्ता पुत्र किशन दत्त गुप्ता (कर्जदार) संपत्ति संख्या डी-11/3, मॉडल टाउन-2, दिल्ली-6	18.07.2017 रु. 17.49 करोड़ (धारा 13(2) के तहत 18.07.2017 को जारी मांग सूचना के अनुसार) + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क एवं व्यय 06.10.2017 भौतिक	प्रथम तल पर एक फ्रीहोल्ड कमरा, बिना छत के अधिकार के; संपत्ति संख्या 427-432, कटरा मैदग्रान, वार्ड नंबर 3, खारी बावली, दिल्ली-110006; क्षेत्रफल 71 वर्ग फुट; योगेश गुप्ता पुत्र किशन दत्त गुप्ता के नाम पर	रु. 32.54 लाख रु. 3.26 लाख (08.06.2026) रु. 25000/-	08.06.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं **श्री सुभाष चंद्र जाटव** (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिक्री **"जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com तथा www.pnb.bank.in देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/परिचर प्रभार/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में स्वतंत्र जांच करें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 10.04.2026 स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक